

सूचना के अधिकार 2005 से संबंधित मैनुअल

बिन्दु क्रमांक – 1

प्रशासन प्रतिवेदन में सामान्यतया संरचनात्मक ढांचा दिया जाता है। कार्यालयीन स्तर पर यदि यह उपलब्ध न हो तो पृथक से बनाकर प्रपत्र में डाला जाये।

कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्य/दायित्व कार्यालय में उपलब्ध होंगे। यदि उपलब्ध न हो तो शाखावार दायित्व कार्य सुनिश्चित कर इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी किए जाये।

(1) – संरचनात्मक ढांचा :-

सूचना के पारदर्शिता के साथ, मूल मंतव्य के साथ भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया जिसे 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा 12.10.2005 से यह अधिनियम पूर्णतः प्रभावशील हो गया है।

इस अधिनियम में आम नागरिकों को सूचना का अधिकार त्वरित एवं सुविधाजनक स्वरूप में उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत प्रावधान किये गये हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन तन्त्र को आम जनता के प्रति पारदर्शिता एवं उत्तरदायी बनाना है। फलस्वरूप ऐसे समस्त अभिलेख कम्प्यूटरीकृत किये जाना है, जो यथा संभव समय सीमा एवं साधनों के तहत कम्प्यूटरीकृत एवं नेटवर्क से उपलब्ध हो सके।

इस संबंध में वृत्त कार्यालय बैतूल में उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:-

- 1- बैतूल वृत्त भोपाल मुख्यालय से 200 कि.मी. दूर दक्षिण दिशा में स्थित है।
- 2- वृत्त के अधीन 4 वनमंडल, 1 वन विद्यालय, 12 उप वनमंडल, 30 परिक्षेत्र, 88 उप परिक्षेत्र, 471 परिसर एवं 4 काष्ठागार, 97 निस्तार डिपो एवं 26 डिपो बसोड़ी बांस प्रदाय हेतु कार्यरत है।
- 3- बैतूल वृत्त के विभिन्न वनमंडलों में 44 आरामशीन एवं 107 फर्नीचर मार्ट पंजीकृत है।
- 4- बैतूल वृत्त के विभिन्न वनमंडलों में वन का क्षेत्रफल 402453.503 हेक्टेयर है इसमें वनों का प्रतिशत लगभग 62 % है।

(2)– विभागीय संरचना :-

वन विभाग की गतिविधियों प्रमुख रूप से वृत्त स्तर पर निम्नांकित शाखाओं में विभाजीत है :-
वनसंरक्षक इन शाखाओं पर नियंत्रण करते हैं तथा दिशा निर्देश देते हैं।

(अ) वृत्त कार्यालय स्तर पर निम्नानुसार शाखायें है :-

- 1- अधीक्षक
- 2- स्थापना शाखा
- 3- व्यय शाखा
- 4- राजस्व शाखा
- 5- आडिट शाखा
- 6- तेन्दूपत्ता शाखा
- 7- अभिलेख शाखा
- 8- मानचित्रकार शाखा
- 9- संयुक्त वन प्रबंधन शाखा
- 10- कम्प्युटर शाखा/ मुद्रण शाखा
- 11- स्टेनो शाखा

(ब) – अधीनस्थ कार्यालय :-

- 1- उत्तर (सामान्य) वनमंडल बैतूल
- 2- दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बैतूल
- 3- पश्चिम (सामान्य) वनमंडल बैतूल
- 4- उत्पादन वनमंडल बैतूल
- 5- वन विद्यालय बैतूल

(स)– विभागीय अमला :-

अ.क्रं.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1	वनसंरक्षक	03	03
2	उप वनसंरक्षक	03	05
3	सहायक वनसंरक्षक	18	18
4	वनक्षेत्रपाल	56	47
5	वन विस्तार अधिकारी	07	—
6	उप वनक्षेत्रपाल	80	78
7	वनपाल	312	300
8	वन विस्तार सहायक	10	—
9	वनरक्षक	528	627
10	वन सेवक	40	13
11	मानचित्रकार	07	04
12	अधीक्षक	01	01

13	शीघ्रलेखक	07	06
14	लेखा अधीक्षक	01	01
15	सहायक ग्रेड-1	06	06
16	लेखापाल	51	43
17	सहायक ग्रेड-2	26	26
18	सहायक ग्रेड-3	71	84
19	दफ्तरी	02	01
20	चतुर्थ श्रेणी	49	90
21	वाहन चालक	25	34
22	अनुरेखक	—	01
23	सहायक प्रोग्रामर	01	01
24	संदेश वाहक	01	01

बिन्दु क्रमांक -2

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम, पदनाम कर्तव्य तथा परिलब्धियों संबंधी जानकारी दी जाये। यह जानकारी कोषालय/कार्यालय दोनो जगह उपलब्ध होगी।

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम, पदनाम कर्तव्य परिलब्धियों संबंधी जानकारी :-

अ.क्रं.	कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/ कर्मचारियों के नाम	पदनाम	दायित्व/कर्तव्य
1	डॉ. गोपा पाण्डेय (भा.व.से.)	वनसंरक्षक	नियंत्रण अधिकारी
2	श्री टी.के.दहबरा	संलग्न अधिकारी	सहायक नियंत्रण अधिकारी
3	श्री आर.एस.बेले	अधीक्षक	समस्त शाखा नियंत्रण अधिकारी
4	श्री एन.पी.दीक्षित	निज सहायक	—
5	श्री डी.एल.तावड़े	सहायक ग्रेड-1	स्थापना शाखा प्रभारी
6	श्री शहजाद खान	मानचित्रकार	मानचित्रकार शाखा प्रभारी
7	श्री बी.आर.दवण्डे	लेखापाल	व्यय शाखा प्रभारी
8	श्री व्ही.के.मालवीय	लेखापाल	आडिट शाखा प्रभारी
9	श्री एम.एस.झाड़े	लेखापाल	राजस्व शाखा प्रभारी
10	श्री ए.एल.उडके	सहायक ग्रेड-2	स्थापना शाखा सहायक
11	श्री टी.एस.उडके	सहायक ग्रेड-2	स्थापना शाखा सहायक
12	श्री ए.के.वानखेडे	सहायक ग्रेड-2	राजस्व शाखा सहायक
13	श्री बी.आर.खातरकर	सहायक ग्रेड-2	राजस्व शाखा सहायक
14	श्री आर.के.मिश्रा	सहायक ग्रेड-2	राजस्व शाखा सहायक
15	श्री आर.सी.झाड़े	सहायक ग्रेड-2	अभिलेखापाल

16	श्री ए.के.मोहने	सहायक ग्रेड-2	मानचित्र शाखा सहायक
17	श्री एस.के.रिखे	सहायक ग्रेड-3	मानव संसाधन विकास शाखा प्रभारी
18	श्री एस.आर.कडवे	सहायक ग्रेड-3	स्थापना शाखा सहायक
19	श्री एच.आर.उपासे	सहायक ग्रेड-3	स्थापना शाखा सहायक
20	श्री एस.आर.खण्डागरे	सहायक ग्रेड-3	व्यय शाखा सहायक
21	एस.आर.वाघमारे	सहायक ग्रेड-3	व्यय शाखा सहायक/लेखनसामग्री
22	श्री वासुदेव कुबडे	सहायक ग्रेड-3	व्यय शाखा सहायक
23	श्री पुरुषोत्तम बारामासे	सहायक ग्रेड-3	राजस्व शाखा सहायक
24	कु. सुभद्रा मिश्रा	सहायक ग्रेड-3	स्टेनो शाखा सहायक
25	श्री आर.के.बोकडे	सहायक ग्रेड-3	आडिट शाखा सहायक
26	श्री सुनील मांझी	सहायक ग्रेड-3	मुद्रण शाखा प्रभारी
27	भारती गोखे	सहायक ग्रेड-3	आवक शाखा प्रभारी
28	श्री मधु पाल	भृत्य	-
29	श्री गुलाबचंद पचोरिया	भृत्य	
30	श्री नरेन्द्र महाले	भृत्य	
31	श्री संतोषराव झरबडे	भृत्य	
32	श्री जगदीश राठौर	भृत्य	
33	श्री रमेश नावंगे	फर्सास	
34	श्री नारायण बन्देला	फर्सास	
35	श्री सुखदेव सोनारे	चौकीदार	
36	श्रीमति मीरा सोनी	भृत्य	
37	श्रीमति कमला सोनी	भृत्य	
38	श्री रोशनलाल उडके	भृत्य	
39	श्री बाबूराव माकोडे	भृत्य	
40	श्री बालाराम यादव	भृत्य	
41	श्री श्रीकृष्ण विश्वकर्मा	वाहन चालक	
42	श्री नत्थू सातपुते	माली	


संघ के कर्मचारी

1	श्री आशिष तिवारी	सहायक प्रोग्रामर	कम्प्युटर शाखा प्रभारी
2	श्री जे.एन.पटेल	कनिष्ठ लेखापाल	तेन्दूपत्ता शाखा प्रभारी
3	सौभाग्यचन्द्र राठौर	संदेश वाहक	-

बिन्दु क्रमांक – 3

कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया (नस्ती खोले जाने से निर्णय लेने तक) को रेखा चित्र (Graph) की सहायता से दिखाई जाए।

कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया (नस्ती खोली जाने से निर्णय लिये जाने तक)



बिन्दु क्रमांक – 4

कार्यालय के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने, गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदण्ड तय किये जाने संबंधी जानकारी दी जाये। यदि इस तरह के मापदण्ड तय नहीं हो तो इस दिशा में कार्यवाही विभाग स्तर पर की जाये, ताकि सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रदेश स्तर पर एक समान गुणवत्ता वाले मापदण्ड लागू हो सकें।

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गई व्यवस्था का विवरण :-

विभाग में नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, तथा विभिन्न स्तरों पर जन प्रतिनिधियों से भी परामर्श का विकल्प लिया जाता है, जिससे की नीति निर्धारण जनता की अपेक्षा के अनुरूप रखा जा सकें।

यह प्रक्रिया बैतूल वृत्त के विभिन्न वनमंडलों में भी अपनाई जा रही है।

- 1— वनोपज निस्तारी व्यवस्था नियमानुसार।
- 2— वन विभाग में गठित सुरक्षा समितियों के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन।
- 3— लोक वानिकी प्रबंध योजना के अंतर्गत तहसील स्तरीय मूल्यांकन समिति।

बिन्दु क्रमांक – 5

कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उलब्ध अधिनियम, नियम, रेग्लेशन, मैनुअल की सूची तैयार की जाये।

कृत्यों का निर्वाहन निम्नलिखित नियमों, अधिनियमों एवं अनुदेशों और अभिलेखों के आधार पर किया जाता है :-

अधिनियम :-

- 1- भारतीय वन अधिनियम 1927
- 2- भारतीय वन (म.प्र.संशोधन) अधिनियम 1965
- 3- भारतीय वन (म.प्र.संशोधन) अधिनियम 1983
- 4- भारतीय वन (म.प्र.संशोधन) अधिनियम 1989
- 5- म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969
- 6- म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1972
- 7- म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1983
- 8- म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1986
- 9- म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1990
- 10- म.प्र. वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संहरण अधिनियम 1973
- 11- म.प्र. कराधान अधिनियम 1982
- 12- म.प्र.कराधान (संशोधन) अधिनियम 1984
- 13- म.प्र.काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984
- 14- म.प्र. वन उपज करारों का पुनरीक्षण (संशोधन) अधिनियम 1996
- 15- वन संरक्षण अधिनियम 1980
- 16- वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972
- 17- म.प्र. वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001
- 18- म.प्र.लोक वानिकी अधिनियम 2001
- 19- म.प्र.तेन्दूपत्ता अधिनियम 1964
- 20- म.प्र. तेन्दूपत्ता अधिनियम 1989
- 21- म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969
- 22- म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1983
- 23- म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1986
- 24- म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1990

नियम :-

- 1- म.प्र. अभिवहम (वनोपज) नियम 1961
- 2- म.प्र.अभिवहन (वनोपज) नियम 1961 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-30-40-95 एक्स-3 (2) दिनांक 19.10.95 द्वारा किया गया संशोधन।
- 3- म.प्र.वनोपज (व्यापार विनियमन) नियम 1969
- 4- म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18-1-96-दस-3 दिनांक 22 मार्च 1997 द्वारा म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) नियम 1969 में संशोधन।

- 5— म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) परामर्शदात्री (मंत्रणा) समिति तथा मूल प्रकाशन नियम 1969
- 6— म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम 1973
- 7— म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम 1984
- 8— म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन नियम 2000
- 9— म.प्र. वन विकास उपकर नियम 1982
- 10— म.प्र. संरक्षित वन नियम 1960
- 11— म.प्र. चराई नियम 1986
- 12— म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3944-दस-3- 88 दिनांक 03 सितम्बर 1988
- 13— म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3663-दस-3- 89 दिनांक 11 अगस्त 1989
- 14— म.प्र.शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18.3.90-दस-तीन दिनांक 09 जनवरी 1991 द्वारा म.प्र. चराई नियम 1986 में संशोधन ।
- 15— म.प्र.वनग्राम नियम 1977
- 16— म.प्र.वनग्राम नियम 1977 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/127 /76/3/दस दिनांक 04.01.1980 द्वारा संशोधन ।
- 17— म.प्र. वन ग्राम नियम 1977 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3081/ 3026/90/10-3 दिनांक 04.01.1980 द्वारा संशोधन ।
- 18— म.प्र. वनग्राम नियम 1977 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ 2008-दस -3-99 दिनांक 31.07.99 द्वारा संशोधन ।
- 19— म.प्र. वन्यप्राणी संव्यवहार तथा चमड़ा साफ करने की कला (चर्मशोध) नियम 1973
- 20— म.प्र. वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम 1974
- 21— म.प्र.फारेस्ट (फार्म ऑफ अपील) नियम 1988
- 22— म.प्र. वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संहरण नियम 1974
- 23— म.प्र.इमारती लकड़ी बिना स्वामी की (बहती हुई, अटकी हुई, डूबी हुई, किनारे लगी, बिना दावा की) नियम 1986
- 24— म.प्र. में अंगीकृत वन संविदा नियम 1927 जो म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 2388- दस-59 दिनांक 27.03.59 द्वारा बनाये गये ।
- 25— वन वित्तीय नियम (एफ.एफ.आर.)
- 26— कोषालय संहिता ।
- 27— भण्डार क्रय नियम ।
- 28— म.प्र. वन सुरक्षा पुरस्कार नियम 2004 ।
- 29— तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली 1966

30- तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली 2000

31- म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) नियम 1969

मैनुअल :-

1- म.प्र.फारेस्ट मैनुअल 1980

सर्कुलर्स :-

1- म.प्र.पुस्तक परिपत्र भाग एक एवं भाग दो ।

अन्य नियम :-

- 1- अवकाश नियम
- 2- पेंशन नियम
- 3- मूलभूत नियम (फंडामेन्टल रूल्स)
- 4- यात्रा भत्ता नियम
- 5- चिकित्सा परिचर्या नियम

बिन्दु क्रमांक - 6 :-

कार्यालय में संधारित किए जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाये।

बैतूल वृत्त कार्यालय में उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी :-

अ. क्रं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधिन
1	पंजी	मदवार व्यय (यूनिट)	लोकसूचना के नियमानुसार	व्यय शाखा
2	पंजी	ए.पी.ओ.	लोकसूचना के नियमानुसार	व्यय शाखा
3	पंजी	लेजर पंजी	---"---	---"---
4	पंजी	यात्रा भत्ता	---"---	---"---
5	पंजी	यात्रा अग्रिम	---"---	---"---
6	नस्ती	शासन एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त परिपत्र/ निर्देश	---"---	---"---
7	नस्ती	वन विकास अभिकरण	---"---	---"---
8	नस्ती	संयुक्त वन प्रबंधन	---"---	---"---
9	नस्ती	सूचना के अधिकार/चिटीजन चार्टर	---"---	---"---
10	नस्ती	शासन एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त / निर्देश	---"---	---"---

11	नस्ती	वनक्षेत्रफल	---"---	मानचित्रकार शाखा
12	नस्ती	वनसंरक्षण अधिनियम निर्देश	---"---	---"---
13	नस्ती	वन राजस्व सीमांकन	---"---	---"---
14	नस्ती	अतिक्रमण	---"---	---"---
15	पंजी	मदवार आय (यूनिट)	---"---	राजस्व शाखा
16	पंजी	काली सूची का रजिस्टर	---"---	---"---
17	पंजी	डिपो लाट अवधि वृद्धि	---"---	---"---
18	पंजी	आरामशीन पंजी	---"---	---"---
19	पंजी	बीट निरीक्षण रोस्टर	---"---	---"---
20	पंजी	सूचना का अधिकार	---"---	---"---
21	नस्ती	परिवहन समूहों का निविदा/नीलाम द्वारा निर्वर्तन	---"---	---"---
22	नस्ती	हानि प्रतिवेदन	---"---	---"---
23	नस्ती	बकाया वन राजस्व	---"---	---"---
24	नस्ती	औद्योगिक बांस निर्वर्तन	---"---	---"---
25	नस्ती	निस्तार व्यवस्था	---"---	---"---
26	नस्ती	अवरोध मूल्य दर निर्धारण	---"---	---"---
27	नस्ती	अपसेट प्राईज अनुमोदन	---"---	---"---
28	नस्ती	भौतिक सत्यापन पत्रावली	---"---	---"---
29	नस्ती	नीलाम परिणाम पत्रक	---"---	---"---
30	रजिस्टर	जावक पंजी वरिष्ठ	---"---	अभिलेख कक्ष
31	रजिस्टर	जावक पंजी सामान्य	---"---	---"---
32	नस्ती	आदेश नस्ती	---"---	---"---
33	रजिस्टर	आवक पंजी वरिष्ठ कार्यालय	---"---	---"---
34	रजिस्टर	आवक पंजी अन्य विभागों से	---"---	---"---
35	रजिस्टर	विधान सभा प्रश्नावली	---"---	---"---
36	रजिस्टर	विधान सभा नस्ती	---"---	---"---
37	रजिस्टर	रोकड़ बही	---"---	अधीक्षक
38	रजिस्टर	रोकड़ बही अधीक्षक	---"---	---"---
39	रजिस्ट	चेक ड्रान	---"---	---"---
40	पंजी	शिकायत	---"---	स्टेनो शाखा
41	पंजी	दौरा दैनंदिनी	---"---	---"---
42	पंजी	वेतन पंजी	---"---	स्थापना शाखा

43	पुस्तिका	सेवा पुस्तिकायें	---	---
44	नस्तियाँ	अवकाश/वेतन वृद्धि/पदोन्नति/ सेवाच्युत/स्थानान्तरण आदि के प्रकरण	---	---
45	नस्ती	पेंशन प्रकरण	---	---
46	पंजी	भविष्य निधि/आयकर/प्रतिभूति/ बकाया अग्रिम	---	---
47	नस्ती	म.प्र.वन परोपकार निधि	---	---
48	नस्ती	विभागीय प्रशिक्षण	---	---
49	नस्ती	वरीयता सूची	---	---
50	नस्ती	न्यायालयीन प्रकरण	---	---
51	नस्ती	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पत्राचार	---	---
52	नस्ती	लेखा प्रशिक्षण/ वनरक्षक प्रशिक्षण	---	---
53	नस्ती	क्रमोन्नति	---	---
54	नस्ती	खेलकुद	---	---
55	नस्ती	स्थाईकरण	---	---
56	नस्ती	भविष्य निधि से आहरण	---	---
57	नस्ती	अनुकम्पा नियुक्ति	---	---
58	नस्ती	परामर्शदात्री समिति की बैठक	---	---
59	नस्ती	टी.एल.आर. बैठक	---	---
60	नस्ती	विभागीय जाँच	---	---
61	पंजी	चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक	---	---
62	पंजी	निरीक्षण प्रतिवेदन पंजी (आय/व्यय)	---	आडिट शाखा
63	पंजी	आंतरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन	---	---
64	पंजी	लोक लेखा समिति प्रतिवेदन	---	---
65	पंजी	सी.ए.जी. कंडिकाओं की जानकारी	---	---
66	पंजी	सी.ए.जी. पैरा एवं पी.ए.सी. पैरा के संबंध में	---	---
67	नस्ती	आडिट सर्कुलर्स	---	---

बिन्दु क्रमांक -7 :-

ऐसी परामर्शदात्री समितियों की संरचना जिसके सदस्य जन प्रतिनिधि है, उनके संबंध में वांछित जानकारी जैसे नाम, आदेश क्रमांक, निर्माण संबंधी सर्कुलर तथा दायित्व एवं कर्तव्य की जानकारी दी जानी है।

बैतूल वृत्त के अंतर्गत ऐसी कोई परामर्शदात्री समिति की संरचना नहीं की गई है, जिसके सदस्य जन प्रतिनिधि हो।

बिन्दु क्रमांक-8 :-

कार्यालय के अंतर्गत आने वाले बोर्ड, परिषद एवं समिति के सदस्यों के नाम एवं अर्हता, गठन संबंधी आदेश, चार्टर/अनुबंध से संबंधी जानकारी, बैठक आहूत करने संबंधी शासन के निर्देश, आम नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी जाए।

बैतूल वृत्त के विभिन्न क्षेत्रीय वनमंडलों में वन सुरक्षा/ ग्राम वन समितियों का गठन किया गया है, जिसमें समितियों के सदस्यों के नाम, अर्हता, गठन संबंधी आदेश, अनुबंध, बैठक आहूत करने संबंधी शासन के निर्देश, आम नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण की जानकारी संबंधित वनमंडलों/उप वनमंडलों/ परिक्षेत्रों से प्राप्त की जा सकती है।

बिन्दु क्रमांक- 9 एवं 10 :-

कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम, वेतन तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधायें () की जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी कार्यालय/कोषालय दोनों जगह उपलब्ध होगी।

बैतूल वृत्त कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

बिन्दु क्रमांक- 10 :-

बैतूल वृत्त के अंतर्गत भारतीय वन सेवा तथा राज्य वन सेवा के अधिकारियों के पदस्थिति के अतिरिक्त कार्यपालिक अमले के अंतर्गत वनक्षेत्रपाल, उप वनक्षेत्रपाल, वनपाल एवं वनरक्षक तथा लिपिकीय अमले के अंतर्गत विभिन्न स्तर के लिपिकीय कर्मचारी कार्यरत है, जिसके वेतनमान निम्नानुसार है :-

अ.क्रं.	अधिकारी/ कर्मचारी का पदनाम	वेतनमान (रूपयें)
1	वनसंरक्षक (भा.व.से.)	16400-20000
2	सहायक वनसंरक्षक (रा.व.से.)	8000-13500
3	अधीक्षक	5000-8000
4	शीघ्र लेखक	6500-10500
5	सहायक ग्रेड-1	4500-7000

6	लेखापाल	4000-6000
7	सहायक ग्रेड-2	4000-6000
8	सहायक ग्रेड-3	3050-4590
9	जीप चालक	3050-4590
10	भृत्य/चौकीदार/फर्सास	2550-3200
11	दफ्तरी	2610-3540
12	खलासी	2610-3540
13	मानचित्रकार	5000-8000
14	अनुरेखक	3500-5200

संघ के कर्मचारी :-

1	सहायक प्रोग्रामर	5000-8000
2	संदेश वाहक	2550-3200

बिन्दु क्रमांक -11 :-

कार्यालय के लिए वर्षानुसार मदवार, बजट आवंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी दी जायेगी। (यह जानकारी कार्यालय/कोषालय दोनों जगह उपलब्ध होगी)

वर्ष 2005-06 के लिए वृत्त कार्यालय बैतूल को आवंटित बजट प्रावधान तथा वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये व्यय की जानकारी निम्न तालिका में दर्शाई गई है :-

1- विभागीय बजट :-

अ.क्रं.	बजट मद	कार्य का नाम	आवंटन	अक्टूबर 2005 तक किया गया व्यय
1	10-2406 (2786) क्षेत्रीय वृत्त	11-स्थापना	39,12,000	27,57,438
		12- मजदूरी	12000	6,300
		21- यात्रा भत्ता	1,20,000	79,737
		22- कार्यालय व्यय	2,12,000	1,65,305
		33- अनुरक्षण	11,000	-
		योग :-	47,67,000	30,08,780
2	6218	भवनों की मरम्मत	65,000	-
3	3836 लंबर वनमंडल	कार्यालय व्यय	11,800	619
4	3877 क्षेत्रीय वनमंडल	वर्दी	31,100	7,686
		योग :-	1,07,900	8,305

2- अन्य श्रोतों से प्राप्त आवंटन एवं व्यय :-

- अ- अन्य श्रोतों से वृत्त कार्यालय बैतूल को कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है।
- ब- राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, वन विकास अभिकरण इत्यादि योजनाओं में क्षेत्रीय वनमंडलों को संबंधित विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। इसकी जानकारी संबंधित वनमंडल से प्राप्त की जा सकती है।

बिन्दु क्रमांक- 12 :-

विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सूची, हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया, वित्तीय सहायता देने वाली संस्था, वर्षवार आवंटित राशि तथा हितग्राहियों की संख्या दी जानी है तथा इसे प्रतिमाह अद्यतन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये (कार्यालय एवं संबंधित विभाग तथा कोषालय से यह जानकारी उपलब्ध होगी)

बैतूल वृत्त के अंतर्गत क्षेत्रीय वनमंडलों में हितग्राही मूलक निम्न योजनायें संचालित की जा रही है

- 1- बहुस्तरीय सिंचित वृक्षारोपण से सुनिश्चित रोजगार योजना।
- 2- बांस हितग्राही योजना।
- 3- निस्तारी प्रदाय वनोपज।

इनसे संबंधित जानकारी वनमंडलों से प्राप्त की जा सकती है।

बिन्दु क्रमांक- 13 :-

वास्तविक हितग्राहियों की सूची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं (Concession) की जानकारी। इसे प्रतिमाह अद्यतन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये (कार्यालय में उपलब्ध)

मैनुअल 12 में दर्शित योजना के हितग्राहियों की सूची, उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी वृत्त के विभिन्न वनमंडलों में उपलब्ध है। प्राप्त की जा सकती है।

बिन्दु क्रमांक- 14 :-

कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची श्रेणी तथा उसकी प्रकृति (हार्ड कापी, इलेक्ट्रॉनिक फार्म)

बैतूल वृत्त कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध जानकारियों विभाग की बेबसाइड पर उपलब्ध कराई जा रही है।

बिन्दु क्रमांक- 15 :-

आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधायें जैसे पुस्तकालय, पब्लिक काउण्टर आदि।

बैतूल वृत्त में विभाग से संबंधित नियमों की पुस्तिकायें एवं निर्देश वृत्त कार्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालय में आम नागरिक की सुविधा के लिए उपलब्ध है।

बिन्दु क्रमांक- 16 :-

लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी दी जानी है।

बैतूल वृत्त के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी की जानकारी निम्न तालिका में दर्शायी जा रही है :-

भारत शासन द्वारा दिनांक 21.6.05 को जारी सूचना का अधिकार 2005 की धारा 5 (1), 5.2) एवं 5 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के आदेश क्रं./सम./व्यवस्था/259 दिनांक 21.09.05 के तारतम्य में इस कार्यालय के आदेश क्रं./स.व.प्र./416 दिनांक 22.10.05 बैतूल वन वृत्त के लिए लोक सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी एवं अपीलिय अधिकारियों की नियुक्तियों की जाती है :-

वृत्त स्तर पर

क्रं.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	वनसंरक्षक, कार्यालय बैतूल	श्री आर.एस.बेले, अधीक्षक	श्री डी.आर.वर्मा, संलग्नाधिकारी	श्रीमति गोपा पाण्डेय वनसंरक्षक

वनमंडल स्तर पर

क्रं.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	उत्तर बैतूल (सा.)	श्री एस.एन.सिंह, उप व.मं.अ. बैतूल (सा.)	श्री केशव सिंह व.मं.अ. उत्तर बैतूल (सा.)	श्रीमति गोपा पाण्डेय वनसंरक्षक
2	दक्षिण बैतूल (सा.)	श्री जे.पी.श्रीवास्तव, उप व.मं.अ. आमला (सा.)	श्री बी.एस.अन्निगेरी, व.मं.अ. दक्षिण बैतूल (सा.)	श्रीमति गोपा पाण्डेय वनसंरक्षक
3	पश्चिम बैतूल (सा.)	श्री के.पी.आठया, उप व.मं.अ. चिचोली (सा.)	श्री आर.डी.महाला, व.मं.अ. पश्चिम बैतूल (सा.)	श्रीमति गोपा पाण्डेय वनसंरक्षक
4	बैतूल उत्पादन	श्री आर.के.मिश्रा, उप व.मं.अ. बैतूल उत्पादन	श्री पंकज अग्रवाल, व.मं.अ. बैतूल उत्पादन	श्रीमति गोपा पाण्डेय वनसंरक्षक
5	वन विद्यालय बैतूल	श्री एच.के.सोनी, अनुदेशक, वन विद्यालय बैतूल	श्रीमति कंचन देवी, संचालक, वन विद्यालय बैतूल	श्रीमति गोपा पाण्डेय वनसंरक्षक

बिन्दु क्रमांक- 17 :-

अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका सीधा संबंध आम नागरिक से हो तो उन जानकारी का भी आलेखन किया जाये।

वन सुरक्षा के संबंध में वृत्त द्वारा की गई व्यवस्था :-

- 1- वृत्त में तीन वनमंडल (सा.) 12 उप वनमंडल, 30 परिक्षेत्र, 88 उप परिक्षेत्र, 471 बीट है। उनमें से .. अतिसंवेदनशील है।
- 2- वृत्त के तीनों वनमंडलों में उड़नदस्ता दल बनाया गया है, जो वन क्षेत्रों का सघन रूप से भ्रमण करते है।
- 3- वृत्त में 639 वन समितियों का गठन कर उन्हें विशिष्ट वन क्षेत्रों में संबंध किया गया है एवं प्राथमिक रूप से वनों की सुरक्षा में सहयोग लिया जा रहा है।
- 4- सुरक्षा की दृष्टि से 242 वायरलेस सेटों का नेटवर्क स्थापित है।
- 5- वृत्त में 35 बन्दुके उपलब्ध है जिनका यथास्थिति कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- 6- अपराधों की सूचना देने वाले व्यक्तियों का नाम गोपनीय रखते हुए पारितोषिक के रूप में धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है।
- 7- वन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा रोस्टर के आधार पर बीट निरीक्षण की व्यवस्था की गई है।
- 8- वन अपराधों में उपयोग किये वाहन को राजसात किये जाने की व्यवस्था है।

अग्नि सुरक्षा :-

वनों के संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष योजना तैयार की जाती है एवं योजना अनुसार वरिष्ठ से प्राप्त आवंटन में कार्य कराया जाता है। इस कार्य में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को भी शामिल किया गया है।

संयुक्त वन प्रबंधन :-

गठित समितियों की जानकारी उन्हें आवंटित वनक्षेत्र वनमंडलवार निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	वनमंडल का नाम	10/05 तक गठित समितियों की संख्या				कुल योग	
		वन सुरक्षा समिति		ग्राम वन समिति		संख्या	वनक्षेत्रफल
		संख्या	वनक्षेत्रफल	संख्या	वनक्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बैतूल (सा.)	162	86132.000	11	1677.000	173	87809.000
2	दक्षिण बैतूल (सा.)	132	47998.502	171	37557.496	303	85555.998
3	पश्चिम बैतूल (सा.)	139	82102.870	24	9623.158	163	91726.028
योग :-		433	216233.372	206	48857.654	639	265091.020

लोक वानिकी एवं अनुसंधान विस्तार :-

म.प्र.शासन द्वारा भूमिस्वामियों को निजी स्वामित्व के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए ग्राम स्वराज धारणा के अनुरूप यह योजना के लिए जनता की वानिकी योजना है, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्रों में वनोपज के उत्पादन और उसके प्रसंस्करण से वनोत्पादकों को बढ़ावा देकर भूमिस्वामियों के समग्र आर्थिक, सामाजिक विकास का लक्ष्य रखा गया है, तथा कृषकों को आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए म.प्र. लोक वानिकी अधिनियम 2001 के परिपेक्ष्य में लोक वानिकी नियम 2002 शासन द्वारा अधिसूचित किया गया है। योजनांतर्गत बैतूल वृत्त के विभिन्न वनमंडलों में कुल 20 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं।

वनग्राम :-

बैतूल वृत्त के विभिन्न वनमंडलों में निम्नानुसार वनग्राम स्थित है। इन वनग्रामों को राजस्व ग्रामों से परिवर्तन हेतु प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किये गये हैं :-

अ.क्रं.	वनमंडल का नाम	वनग्राम संख्या
1	उत्तर बैतूल (सा.)	31
2	दक्षिण बैतूल (सा.)	34
3	पश्चिम बैतूल (सा.)	23
4	रामपुर-भतोड़ी	04
योग :-		92

हितग्राही मूलक योजना:-

(अ) बिगड़े बांस वनों में सुधार :-

बिगड़े बांस वनों के सुधार योजना हितग्राहियों के माध्यम से प्रारंभ की गई है। इस योजना में अभी तक 1000 परिवार शामिल किये गये हैं। इन्हें नियमित रूप से रोजगार के अवसर प्रदाय किये जा रहे हैं। इस योजना में समितियों द्वारा चिन्हांकित बी.पी.एल. के व्यक्तियों को एक से तीन हेक्टर बांस क्षेत्र बांटा जाता है। इसमें 2 वर्ष तक प्रति हितग्राही 1000/- प्रतिमाह दिया जाता है। प्रत्येक हितग्राही बिगड़े बांस वनों का सुधार के कार्य करता है। दो वर्ष बाद उत्पादित बांस का 30 प्रतिशत लाभांश बांस हितग्राहियों को दिया जायेगा। उन्हें 12000/- से 15000/- तक की आमदनी अगले 30 से 40 वर्षों तक उपलब्ध होगी।

आरामशीने :-

- 1- बैतूल वृत्त में लगभग 44 आरामशीने चालू हालत में हैं तथा बन्द आरामशीनों की संख्या 31 है। इनका निरीक्षण भी स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है। नई आरामशीनों की स्वीकृति केवल माननीय न्यायालय द्वारा गठित सक्षम समिति की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही दी जा सकेगी।
- 2- छोटी कटर मशीन एवं खराद मशीन की स्वीकृति देने के लिए राज्य शासन द्वारा 12" डायमीटर तक की कटर मशीन को अनुज्ञप्ति की सीमा से बाहर रखा गया है।

वनोपज उत्पादन:-

बैतूल जिले में वनों के विदोहन एवं निर्वर्तन की समुचित व्यवस्था हेतु विभाग में एक उत्पादन वनमंडल कार्यरत है। इस वनमंडल द्वारा मुख्य रूप से निम्न कार्यों को सम्पादित किया जाता है :-

- 1- कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से इमारती, जलाऊ बांस एवं खैर की कटाई कर प्राप्त वनोपज को विभिन्न काष्ठागारों में परिवहन एवं निर्वर्तन करना।
- 2- इमारती जलाऊ एवं बांस की निस्तारी तथा व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैतूल में एक उत्पादन वनमंडल है तथा 3 क्षेत्रीय वनमंडल है। विभिन्न काष्ठ एवं वनोपज का उत्पादन बैतूल में होता है वह मुख्यतः सामान्य रूप से कूपों से एवं विभिन्न डूब क्षेत्रों में कटाई से प्राप्त होती है।

ईको टूरिज्म विकास संभावनायें :-

उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल के अंतर्गत ईको टूरिज्म के प्रकाश में चयनित क्षेत्रों के विकास हेतु विवरण निम्नानुसार है :-

- 1- घोडाडोंगरी काष्ठागार परिसर में स्थित रेस्ट हाऊस एवं पूरे परिसर के विकास के साथ कीलनदेव चोटी एवं मठारदेव चोटी के भ्रमण कार्य का विकास किया जाना।
- 2- शाहपुर, भौरा परिक्षेत्र में भंवरगढ़ किला, मूढ़ा, कांटावाड़ी, तारमखेड़ा, भोडियाकाय आदि दर्शनीय स्थलों का विकास किया जाना आदि।

विस्तृत प्रस्ताव इस कार्यालय के ज्ञापन क्रं./रा.ले./05/ 1808 दिनांक 29.8.05 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. इको पर्यटन विकास बोर्ड, वन भवन तुलसीनगर, भोपाल को एवं दूसरा प्रस्ताव मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन) म.प्र. भोपाल को कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक/स्टेनो/ 05/ 1864 दिनांक 3.9.05 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।